

दिल्ली विधान सभा

कार्य-सूची

बुधवार, 20 दिसम्बर, 1995/अग्राह्यण 29, 1917 शक

अपराह्न 2.00 बजे

=====

प्रश्न

1. पृथक सूची में दिए गए प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे।

विशेष उल्लेख

2. सदस्यों द्वारा पृथक सूची में दिए गए मामलों का उल्लेख किया जाएगा।

चर्चा

3. श्री जय किशन :
श्री राज कुमार चौहान :

ज्वाला पुरी स्थित पो. वी. सी. मार्किट में हुए अग्नि कांड एवं प्रभावित व्यापारियों के पुनर्वास के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

विधेयकों का पुरःस्थापन

4. स्वास्थ्य एवं विधायी कार्य मंत्री, डा. हर्षवर्द्धन प्रस्ताव करेंगे कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते

§ संशोधन § विधेयक, 1995" को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

विधेयक भी पुरःस्थापित करेंगे।

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए।

5. स्वास्थ्य एवं विधायी कार्य मंत्री, डा. हर्षवर्द्धन प्रस्ताव करेंगे कि—
"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते

§ संशोधन § विधेयक, 1995" को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

विधेयक भी पुरःस्थापित करेंगे।

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए।

6. स्वास्थ्य एवं विधायी कार्य मंत्री, डा. हर्षवर्द्धन प्रस्ताव करेंगे कि—
 "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विधान सभा के सदस्यों के
 वेतन एवं भत्ते संशोधन विधेयक, 1995" को पुरःस्थापित करने
 को अनुमति प्रदान की जाए।
 विधेयक भी पुरःस्थापित करेंगे।
 यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए और इसे
 पारित किया जाए।

प्रतिवेदन पर विचार

7. डा. हर्षवर्द्धन प्रस्ताव करेंगे कि :—
 "दिल्ली धूमपान निषेध एवं धूमपान न करने वालों का स्वास्थ्य प्रतिरक्षा
 विधेयक, 1995 का प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन को विचार
 के लिये लिया जाए।"
 यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

प्रस्ताव

8. चौ. फतेह सिंह : § निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे —
 श्री गौरी शंकर भारद्वाज : §
 "कि यह सदन दिनांक 18.12.1995 को सदन में प्रस्तुत विशेषाधिकार
 समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव

9. श्री राम भज : § निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे —
 डा. हर्षवर्द्धन : §
 "कि यह सदन दिनांक 18.12.1995 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा
 समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव

10.

डा. स. के. वालिया :

श्री नन्द किशोर गर्ग :

निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"कि यह सदन दिनांक 18.12.1995 को सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अल्पकालिक चर्चा

11.

श्री आलोक कुमार :

श्री अजय माकन :

श्री मदन लाल गाबा :

दिल्ली में बिगड़ती हुई सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, रेड लाइन बसों द्वारा उत्पन्न विकट समस्या तथा मोटर वाहनों द्वारा सड़कों पर प्रदूषण फैलाने से उत्पन्न स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा प्रारंभ करेंगे।

नियम 123 के अधीन प्रस्ताव

12.

श्री राम भज :

श्री स्वरूप चन्द राजन :

श्री मेवा राम आर्य :

श्री ओ. पी. बब्बर :

श्री पूर्णिमा सेठी :

निम्नलिखित प्रस्ताव को चर्चा करने हेतु प्रस्तुत करेंगे :-

"कि इस सदन ने 14.8.95 को एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था कि सेवा राम शर्मा समिति की रिपोर्ट के अनुसार एक जुडिशियल इन्क्वारी के लिये एक जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाए ताकि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

सदन उपर्युक्त संकल्प को लागू न करने के कारणों को जानना चाहता है और मांग करता है कि कथित संकल्प को तत्काल लागू किया जाए।"

अल्पकालिक चर्चा

13.

श्री मुकेश शर्मा :

श्री जग प्रवेश चन्द्र :

श्री दीप चंद बंधु :

ग्रुप हाउसिंग समितियों एवं बहुमंजिले फ्लैटों से बढ़ी हुई दरों से सम्पत्ति कर लेने के बावजूद भी समितियों में नागरिक सुविधा उपलब्ध न करने के संबंध में अल्पकालिक चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

Tuesday, December 20, 1995/ Agrayayana 29, 1917 (Saka)

2.00 P.M.

QUESTIONS

1. Questions entered in a separate list to be asked and answers given.

SPECIAL MENTION

2. Matters to be raised by Members given in a separate list.

DISCUSSION

3. Shri Jai Kishan :
Shri Raj Kumar Chauhan :

to raise discussion on the Fire incident in the PVC Market situated at Jwalapuri and rehabilitation of the affected traders.

BILLS TO BE INTRODUCED, CONSIDERED AND PASSED

4. Dr. Harshvardhan, Minister of Health and Legislative Affairs to move for leave to introduce "The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1995."

ALSO to introduce the Bill.

ALSO to move for consideration and the Bill be passed.

5. Dr. Harshvardhan, Minister of Health and Legislative Affairs to move for leave to introduce "The Minister of Govt. of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1995."

ALSO to introduce the Bill.

ALSO to move for consideration and the Bill be passed.

6. Dr. Harshvardhan, Minister of Health and Legislative Affairs to move for leave to introduce "The Members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1995."

ALSO to introduce the Bill.

ALSO to move for consideration and Bill be passed.

CONSIDERATION OF REPORT

7. Dr. Harshvardhan :

"to move that the Report of Select Committee on the Delhi Prohibition of Smoking and Non-Smokers Health Protection Bill, 1995 be taken into consideration."

ALSO to move that the Bill as reported by the Select Committee be passed.

MOTION

- 2 -

8. Ch. Fateh Singh :
Shri Gauri Shankar Bhardwaj : to move the following :-

"That this House agrees with the First Report of the Committee on Privileges presented to the House on 13.12.95."

MOTION

9. Shri Ram Bhaj :
Dr. Harshvardhan :

to move the following :-

"that this House agrees with the Ninth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 13.12.95."

MOTION

10. Dr. A.K. Walia :
Shri Nand Kishore Garg :

to move the following :-

"that this House agrees to the Seventh Report of the Committee on Private Members Bills and Resolution presented to the House on 13.12.95."

SHORT DURATION DISCUSSION

11. Shri Alok Kumar :
Shri Ajay Maken :
Shri Madan Lal Gaba :

to raise Short Duration Discussion on Deterioration of Public transport System in Delhi, menace caused by Red Line Buses and Pollution caused by Motor Vehicles on Roads.

MOTION UNDER RULE 103

12. Shri Ram Bhaj
Shri Swaroop Chand Rajan
Shri Mewa Ram Arya
Shri O.P. Babbar
Km. Purnima Sethi

to move the following
motion for discussion :-

"that this House on 14.6.95 unanimously passed a resolution that Judicial Enquiries Commission be constituted under the Commission of Enquiries Act, 1952 as per the recommendations of the S.R. Sharma Committee so that the guilty persons could be punished."

The House desired that the House be informed of the reasons of non-implementation of the aforesaid resolution and demands that the said resolution be implemented forthwith."

- 3 -

SHORT DURATION DISCUSSION

13. Shri Mukesh Sharma :
Shri Jag Parvesh Chandra :
Shri Deep Chand Bandhu :

to raise Short Duration Discussion on
utter neglect of Group Housing Societies and
Multi-storeyed Flats despite levy of House
Tax at enhanced rate and due to non-provision
of necessary civic amenities to them.

P.N. GUPTA
SECRETARY